हरियाणा राज्य में विकास की विभिन्न सरकारी योजनाएँ तथा कार्यक्रम

– एक संदर्भ पुस्तिका –

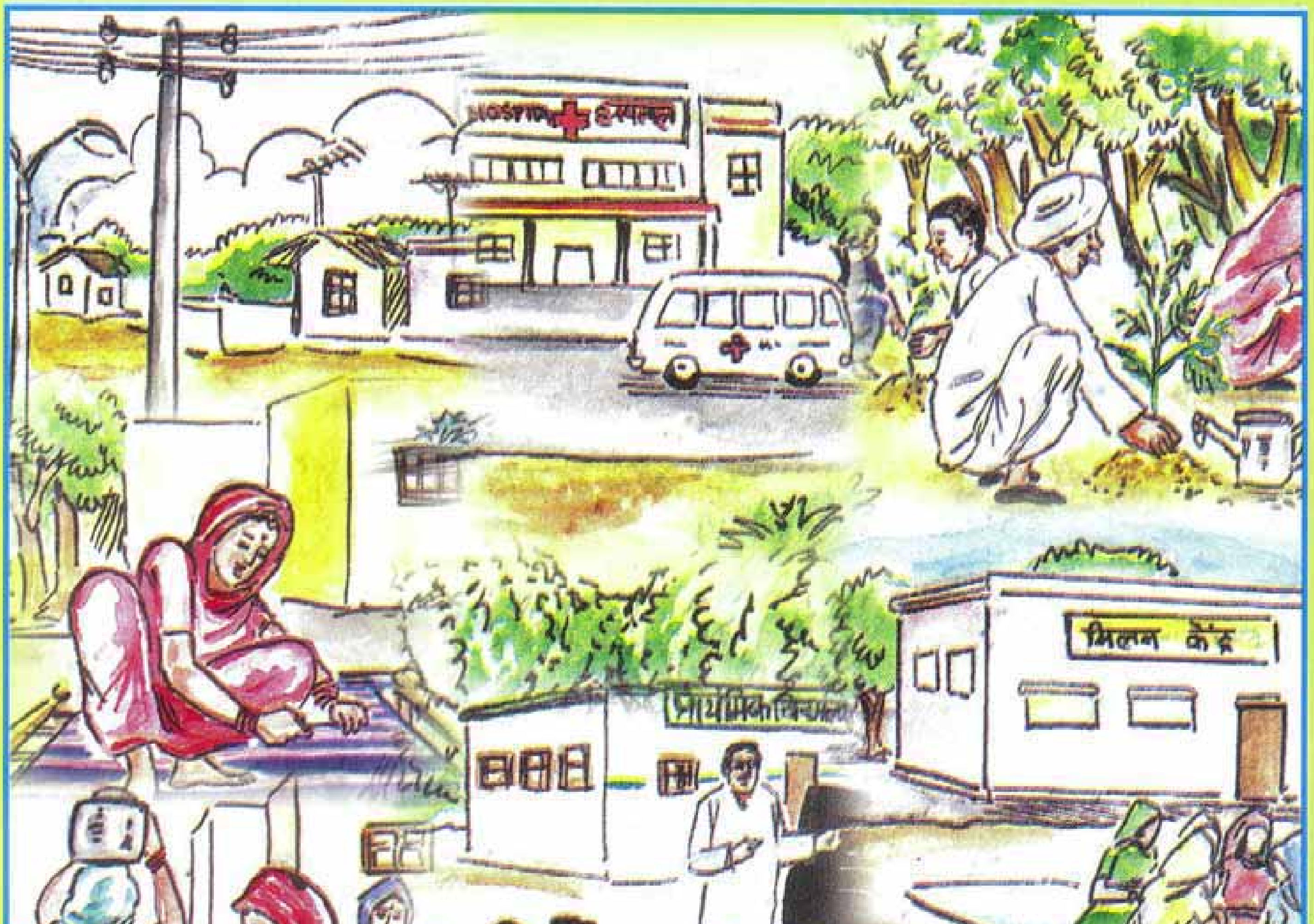

हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना

वन विभाग, हरियाणा

2006

हरियाणा राज्य
में
विकास की विभिन्न सरकारी योजनाएँ तथा कार्यक्रम

—एक संदर्भ पुस्तिका—

हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना
वन विभाग, हरियाणा
2006

प्रस्तावना

यह संदर्भ पुस्तिका गाँवों में स्थित संगठनों जैसे कि पंचायत, वी0आर0एम0सी0, वी0एफ0सी0, नेहरू युवा संगठन, महिला स्वयं सहायता समूहों इत्यादि के लिये बनाई गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन एवं विकास के लिये स्व–उद्यम के प्रयास में तेजी, उपलब्ध अवसरों की जानकारी के साथ ही आ सकती हैं। इस पुस्तिका के माध्यम से ग्राम विकास के कार्यक्रमों के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई हैं जैसे कि कार्यक्रमों के उद्देश्य, लक्षित वर्ग/समूह, मुख्य विशेषताएँ एवं शर्तें तथा स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के बारे में किनसे सम्पर्क कर सकते हैं। विभिन्न विकास क्षेत्रों एवं विभागों के कार्यक्रमों की जानकारी अलग–2 अध्यायों में संकलित की गई है।

यह आशा की जाती है कि यह पुस्तिका ग्रामीण क्षेत्र के संगठनों में इन सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनके द्वारा इन कार्यक्रमों तक पहुँचने और लाभ उठाने के लिये उन्हें प्रेरित करेगी।

डा0 (श्रीमति) अमरिन्द्र कौर, भा.व.से.
वन संरक्षक,
सूचना, प्रशिक्षण एवं संचार, जांच एवं मूल्यांकन,
हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना,
पंचकूला।

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम	1-14
1. स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना	1
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	3
3. इन्दिरा आवास योजना	6
4. हरियाली	8
5. जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम	11
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	15
पिछड़े जिलों में विकास कार्यक्रम	16
1. काम के बदले अनाज कार्यक्रम	16
2. रोजगार गारण्टी स्कीम	16
पंचायत एवं विकास विभाग के कार्यक्रम	17-23
1. पी.आर.आई. योजना	17
2. राजस्व अर्जक योजना	18
3. मैचिंग अनुदान योजना	19
4. एच.आर.डी.एफ. ग्राण्ट	21
5. सबसिडी स्कीम	22
6. एल.ए.डी.टी. स्कीम	23
कृषि विभाग के कार्यक्रम	24-29
1. वर्मी कम्पोस्ट प्रोत्साहन	24
2. अनुदान पर कृषि यंत्र	24
3. बायो गैस	25
4. भूमि सुधार योजनाएं	26
5. सिंचाई हेतु टयूबवैल	28
पशु-पालन विभाग के कार्यक्रम	30-34
1. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान	30
2. मिनी डेयरी योजना	31
3. पशु-पालन प्रोत्साहन योजना	33
मत्सय पालन विभाग के कार्यक्रम	35-36
वन विभाग के कार्यक्रम	37-38
1. पौध वितरण कार्यक्रम	37
2. पौधारोपण कार्यक्रम	37
3. वन विकास निगम	38
4. राज्य औषधीय पौधबोर्ड	38
बागवानी विभाग के कार्यक्रम	39
जिला उद्योग केन्द्र के कार्यक्रम	40-42
1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना	40

स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम	43
1. देवी रुपक योजना	43
2. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	43
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यक्रम	44
1. अन्तोदय अन्न योजना	44
शिक्षा विभाग के कार्यक्रम	46-48
1. मिड-डे मील स्कीम	46
2. सर्व शिक्षा अभियान	46
जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम	49
1. पेयजल एवं सीवरेज	49
महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम	50-56
1. समेकित बाल विकास कार्यक्रम	50
2. बालिका समृद्धि योजना	52
3. महिला मंडल योजनाएं	54
4. लाडली योजना	55
5. हरियाणा महिला विकास निगम	55
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम	57-66
1. वृद्धावस्था पेंशन (आवेदन पत्र नमूने के साथ)	57
2. विधवा पेंशन (आवेदन पत्र नमूने के साथ)	60
3. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	63
4. देवी रक्षक योजना	63
5. न्यू स्वर्णिमा	64
6. माइक्रो फाइनेंस स्कीम	64
7. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	65
8. हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि के कमजोर वर्ग कल्याण निगम	66
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यक्रम	67-73
1. मकान हेतु अनुदान	67
2. बस्ती सुधार योजना	68
3. लड़कियों की शादी हेतु अनुदान	69
4. शादी के उत्सव पर कन्यादान सहायता	70
5. कानूनी सहायता	71
6. अन्तर्जातीय विवाह योजना	72
7. उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन	72
8. सिलाई प्रशिक्षण योजना	73
9. छात्रों के लिए योजनाएं	73

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के D.R.D.A. द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

उद्देश्य

- सहायता प्राप्त परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना तथा उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना।

लक्षित वर्ग

- गांवों के वे सब परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अर्थात पीले या गुलाबी कार्ड धारी परिवार।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्धनों की क्षमता पर आधारित छोटे–छोटे उद्यम स्थापित करना।
- व्यक्तिगत एवं समूह सहायता का प्रावधान।
- इस योजना में स्वरोजगार (अपना काम–धन्धा) शुरू करने के सभी पहलुओं का समावेश किया गया है, जैसे कि:
  - ➢ गरीबों का स्वयं सहायता समूहों में गठन व उनका क्षमती निर्माण।
  - ➢ स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण।
  - ➢ बुनियादी ढाँचा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना।
  - ➢ उत्पादन उन्नयन (अपग्रेडेशन) हेतु प्रोद्यौगिकी।
  - ➢ बैंक–लोन एवं बहु–लोन व्यवस्था।
  - ➢ कच्चा माल खरीदने एवं तैयार वस्तुओं की बिक्री (विपणन) हेतु सहायता।
- अनुदान
  - ➢ एक समान दर से परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, अधिकतम 7500 रु.।
  - ➢ एस.सी./एस.टी. तथा विकलांगों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या प्रति व्यक्ति 10000 रु.।

- ➢ समूह के लिए योजना लागत का 50 प्रतिशत, या प्रति व्यक्ति 10000 रु. अधिकतम, या 1,25,000 रु., जो भी कम हो।
- ➢ सिंचाई परियोजना समूह के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं।

- कमजोर वर्गों के लिए विशेष आरक्षण, जैसे कि:
  - ➢ कम से कम 50 प्रतिशत स्वरोजगारी एस.सी./एस.टी. हों।
  - ➢ कम से कम 40 प्रतिशत स्वरोजगारी महिलाएं हों।
  - ➢ कम से कम 3 प्रतिशत स्वरोजगारी विकलांग हों।
  - ➢ खण्ड स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के हों।
  - ➢ गरीबी की रेखा की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा।
  - ➢ डी.आर.डी.ए. के साथ-साथ लाईन विभागों, बैंकों, तकनीकी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान।

ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की भूमिका

- ग्राम सभा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची का अनुमोदन करेगी।
- स्वरोजगारियों का चयन करेगी।
- स्वयं सहायता समूह बनवाने में मदद करेगी।
- मुख्य गतिविधियों (काम-धन्धों) का चयन करने में मदद करेगी।
- वसूली में मदद करेगी।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

(1) स्थानीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.आर.डी.ए.
(2) खण्ड विकास अधिकारी
(3) स्थानीय सरपंच

2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई)

उद्देश्य

- प्राथमिक उद्देश्य: सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार मुहैया कराना, उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और उनके पोषण स्तर में सुधार लाना।
- गौण उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना और ढाँचागत विकास करना।

लक्षित वर्ग

- सभी ग्रामीण गरीब जिन्हें मजदूरी की जरूरत है तथा जो शारीरिक व अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों।

मुख्य विशेषताएं

- कार्यक्रम पूर्ण रूप से पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाएगा।
- प्रत्येक पंचायत को वार्षिक आबंटन न्यूनतम 25000 रु. दिया जाएगा।
- जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के आबंटन में से कम से कम 22.5 प्रतिशत संसाधन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों/समूह लाभार्थियों को आर्थिक कार्य या काम–धन्धे शुरू करने हेतु आरक्षित।
- ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति की बस्ती/मोहल्ले में सामुदायिक परिसम्पत्तियां बनाने हेतु
- 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं हेतु।
- प्रत्येक श्रमिक को एक दिन कार्य करने के बदले न्यूनतम 5 कि.ग्रा. अनाज व न्यूनतम 25 प्रतिशत नकद राशि मजदूरी के तौर पर दिये जाएंगे।
- हरियाणा में वर्तमान मजदूरी पर 10 कि.ग्रा. अनाज (5.50 पै. प्रति कि.ग्रा.) तथा 30.00 रु. नकद प्रतिदिन निर्धारित है।
- ठेकेदारी बन्द, अर्थात कार्य ठेकेदारों के माध्यम से नहीं करवाया जाएगा बल्कि खुद पंचायतें करेंगी।
- मजदूर की जगह मशीनों के प्रयोग की मनाही।

- ग्राम पंचायत 1,00,000 रु. तक के कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति खुद करेगी। परन्तु कार्य के तकनीकी अनुमान तथा कार्य का मापतोल किसी तकनीकी तौर पर निपुण व्यक्ति से करवाएंगी।
- प्रतिवर्ष फरवरी माह में तीनों स्तरों की पंचायतें अपने–2 हिस्से की योजना बनाएंगी।
- आबंटित राशि के 15 प्रतिशत भाग का उपयोग मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के तहत बनी परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर खर्च किया जा सकता है।
- पंचायत स्तर पर योजना का अलग बैंक खाता होगा, जिसका संचालन सरपंच तथा एक पंचायत सदस्य या पंचायत सचिव संयुक्त रूप से करेंगे।
- अदायगी पंचायत से मंजूरी के बाद।
- एस.जी.एस.वाई. सहयोगी, कृषि गतिविधियों के लिए सहयोगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आन्तरिक एवं लिंक सड़कों से संबन्धित ढाँचागत कार्य कराए जाते हैं।
- अन्य सामाजिक–आर्थिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- परम्परागत ग्रामीण तालाबों आदि का नवीकरण भी कराया जाता है।

मनाही

- योजना के तहत धार्मिक कार्यों, स्मारकों आदि एवं बड़े भवनों या पुलों, सरकारी भवन, हाई स्कूल एवं कालेज भवन एवं तारकोल की सड़कें बनाने की मनाही है।
- ठेकेदारों एवं मशीनों से काम करवाने की सख्त मनाही है।

पंचायत स्तर पर किए जा सकने वाले कार्य

- एस.जी.एस.वाई. सहयोगी मूल ढाँचागत कार्य।
- कृषि गतिविधियों के लिए सहयोगी मूल ढाँचागत कार्य
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आन्तरिक एवं लिंक सड़कों से संबन्धित ढाँचागत कार्य।
- अन्य सामाजिक–आर्थिक परिसम्पत्तियां।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की भूमिका

- ग्राम पंचायत अपने हिस्से के संसाधनों के नियोजन एवं क्रियान्वयन की प्राधिकर्ता होगी।

- प्रत्येक वर्ष फरवरी में अपने हिस्से की राशि के उपयोग के लिए प्राथमिकता के आधार पर योजना बनायेगी तथा उसका अनुमोदन करेगी।
- स्वीकृत कार्य हेतु 5–9 स्थानीय प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन करना व इस कमेटी की रिपोर्ट को ग्राम सभा के पटल पर रखना।
- कार्यक्रम के तहत अपने स्तर पर बनायी गयी परिसम्पत्तियों का पूरा रिकार्ड रखना जैस कि आरम्भ व पूरा करने की तिथि, लागत, प्राप्त लाभ, पैदा किया गया रोजगार इत्यादि।
- बैठक में अदायगी प्राधिकृत करना एवं ग्राम सभा को सूचित करना।
- मजदूरी भुगतान की निगरानी।
- जन–माँग पर सत्यापित मस्टर रोल, ग्राम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
- जिला परिषद् की निगरानी में अपने हिस्से के कार्यों की निगरानी।
- कार्यक्रम के तहत नियोजन, क्रियान्वयन, सृजन एवं निगरानी हेतु ग्राम सभा की त्रैमासिक बैठक बुलाना तथा योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

- स्थानीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.आर.डी.ए.

3. इन्दिरा आवास योजना

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों, अनुसूचित जातियों/जन जातियों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों तथा अन्य गैर–अनुसूचित जातियों के परिवारों, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, को नए मकानों के निर्माण हेतू तथा जिनके पास अर्द्ध–कच्चे अथवा पक्के मकान हैं उनकी अपग्रेडेशन हेतू एक मुश्त सहायता प्रदान करना है।

लक्षित वर्ग

- मकान हेतू सहायता गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले इन परिवारों को दी जा सकती है:
    - अनुसूचित जाति उपलब्ध राशि का कम से कम 60 प्रतिशत
    - मुक्त बंधुआ मजदूर उपलब्ध राशि का कम से कम 40 प्रतिशत
    - गैर–अनुसूचित जाति
    - युद्ध में मारे गए सशस्त्र और अर्द्ध–सैनिक बलों के जवानों की विधवाएं एवं परिवार
    - पूर्व सैनिक एवं अर्द्ध–सैनिक बलों के सेवा–निवृत सदस्य, जो अन्य शर्तें पूरी करते है।
    - उपरोक्त में से 3 प्रतिशत विकलांगों हेतु।

मुख्य विशेषताएं

- लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा करेगी।
- लाभार्थी मकान स्वयं बनाएंगे।
- मकान बनाने के लिए प्रति इकाई 25000 रूपये का अनुदान, शौचालय एवं धुंआ–रहित चूल्हा सहित।
- अर्द्ध–पक्के अथवा कच्चे मकान को पक्का या अपग्रेड करने के लिए 12500 रूपये, शौचालय एवं धुंआ रहित चूल्हा सहित।
- मकान का प्लींथ एरिया 20 वर्ग मीटर से कम न हो।

- मकान में स्वस्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हा होना आवश्यक है।
- मकान के ऊपर भारत सरकार का ग्रामीण आवास का प्रतीक (लोगो), निर्माण वर्ष एवं लाभार्थी का नाम अंकित हो।
- मकान बनाने या सुधारने में लगने वाला सामान, तकनीक और डिजाईन कम लागत वाले और पर्यावरण के अनुकूल हों।
- मकान का आबंटन परिवार की महिला के नाम होना चाहिए । विकल्प के तौर पर मकान पति व पत्नी दोनों के नाम हो सकता है।
- सरकारी विभाग मकान नहीं बना सकते, परन्तु वे तकनीकी सहायता दे सकते हैं तथा निर्माण का सामान जैसे कि ईट, सीमेंट, लोहा, इत्यादि सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा सकते हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- लाभार्थी परिवारों का चयन ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा द्वारा किया गया चयन अन्तिम है।
- नियन्त्रित दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने में मदद।
- नई तकनीक, डिजाइनों एवं तरीकों, कम लागत वाली एवं आपदा–अवरोधक निर्माण–सामग्री के बारे जानकारी करवाना।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.आर.डी.ए.।
- स्थानीय खण्ड विकास अधिकारी।
- स्थानीय सरपंच।

4. हरियाली

हरियाली के तहत हरियाणा के सात दक्षिणी जिले, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर, में डी.डी.पी. तथा राज्य के अन्य जिलों में आई.डब्लयू.डी.पी. के नाम से जल संग्रहण परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।

उद्देश्य

- मृदा एवं जल संरक्षण।
- बरसात के पानी से सिंचाई, वन–रोपण, बागवानी, फूलों की खेती, चरागाह का विकास, एवम् मछली पालन हेतु संग्रह करना।
- जल संग्रहण के प्रबन्धन से पंचायतों की नियमित आय के स्रोत पैदा कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों का चहुँमुखी विकास करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबी कम करना, सामुदायिक सशक्तिकरण और मानव एवं आर्थिक विकास।
- सूखे एवं मरूस्थलीकरण जैसी उग्रजलवायु परिस्थितियों की फसलों, मानव व पशुधन के ऊपर होने वाले कुप्रभावों को कम करना।
- प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि भू–जल व वनस्पति के उचित दोहन, सरंक्षण एवं विकास द्वारा परिस्थितिकीय सन्तुलन को सुधारना।
- बनाई गई परिसम्पत्तियों के संचालन व रख–रखाव के लिए दीर्घकालीन टिकाऊ सामुदायिक क्रियाशीलता उभारना।

क्या–क्या कार्य किए जा सकते हैं ?

- जल दोहन के छोटे–छोटे ढाँचे, जैसे कि कम लागत के फार्म–पॉण्ड्ज, नाला–बंध, चैक डैम्स, परकोलेशन टैंक एवं भू–जल स्तर बढ़ाने के अन्य उपाय।
- पुराने जल स्त्रोतों का नवीकरण एवं संवर्द्धन, गांव के तालाबों की गाद निकालकर पीने के पानी, सिंचाई व मछली पालन का विकास।
- वनीकरण, जैसे कि ब्लाक पौधारोपण, कृषि–वानिकी एवं बागवानी विकास, शेल्टर बेल्ट पौधारोपण व रेत के टीलों का स्थिरीकरण स्थाईकरण।
- वनीकरण के साथ–साथ चरागाह विकास, कन्टूर एवं ग्रेडिंड बंधों पर पौधारोपण।

- खेत की मिट्टी एवं नमी का संरक्षण, चारे, इमारती लकड़ी, ईधन लकड़ी, बागबानी व गैर–इमारती लकड़ी वाले पौधों की नर्सरी तैयार करना ।
- वनस्पति एवं अभियांत्रिकी ढाँचों द्वारा जल निकासी उपचार ।
- जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान सामुदायिक परिसम्पत्तियों की मुरम्मत, पुनरोद्धार एवं उन्नयन, ताकि पूर्व में किए गए निवेश का अधिकतम व लगातार लाभ हो ।
- नई फसलों की किस्मों या नवप्रवर्तन प्रणाली प्रबन्धन प्रैक्टिसेज़ को जन–प्रिय करने हेतु फसल प्रदर्शन ।
- गैर–परम्परागत उर्जा बचत वाले यन्त्रों, ऊर्जा सरंक्षण तरीकों व बायो–डीजल वाले पौधारोपण को प्रोन्नत कर, उनका प्रसार करना ।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- एक परियोजना का क्षेत्र लगभग 500 हैक्टेयर (1250 एकड़) होता है ।
- प्रत्येक योजना विकास के लिए 30 लाख रूपये की राशि स्वीकृत होती है ।
- योजना की अवधि 5 वर्ष है ।
- कार्य–योजना ग्रामीण समुदाय के साथ मिल–बैठकर तैयार की जाती है ।
- आयोजन व क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका है ।
- तीसरी किश्त सन्तोषजनक मूल्यांकन के बाद ही मिल सकती है ।
- स्वयं सहायता समूहों को 10000 रूपये रिवाल्विंग फण्ड का प्रावधान है, जो 6 महीने में वसूल होता है।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की भूमिका

- प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं आर्थिक विकास सम्बंधी गतिविधियों के प्रबन्धन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।
- जल–संग्रहण परियोजनाएं ग्राम पंचायत द्वारा लागू की जाएंगी।
- डब्ल्यू.डी.टी. के मार्गदर्शन में एवं स्वयं सहायता समूह तथा उपभोक्ता समूह के सहयोग से जल संग्रहण विकास योजना तैयार करेंगी ।
- ग्राम सभा के मार्गदर्शन एवं नियन्त्रण में ग्राम पंचायत कार्य निष्पादन करेगी।
- डी.आर.डी.ऐ से प्राप्त राशि को एक अलग खाते में रखना तथा उसका संचालन।

- वर्ष में दो बार ग्राम सभा की बैठक की जायेगी, जिसमें जल–संग्रहण योजना का अनुमोदन/सुधार किया जायेगा।
- शामलात व सामाजिक / पंचायती भूमि पर पौधारोपण की सुरक्षा हेतु वन रक्षक नियुक्त करेगी।
- डब्लयू. ड.टी. की सहायता से स्वयं सहायता समूह एवं उपभोक्ता समूह बनायेंगी, व लेखा–जोखा अनुमोदित करेंगी ।
- आवश्यकतानुसार 2–3 जल संग्रहण प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगी।
- जन/स्वैच्छिक दान, अंशदान प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगी।
- अनुमोदित कार्य योजना को पंचायत घर सूचना–पट व मुख्य स्थानों पर लगायेंगी।
- कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समय–समय पर ग्राम सभा में समीक्षा करेंगी।
- उपभोक्ता चार्जेज़ लगायेंगे।
- चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) का प्रबन्धन करेंगी।

5. जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दो केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत राज्यों को वित्तिय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।

1. ग्रामीण जलापूर्ति
2. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.)

5.1 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

उद्‌देश्य

- स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के साथ सभी ग्रामीण बसावटों की कवरेज सुनिश्चित करना।
- पेयजल प्रणालियों एवं स्रोतों का स्थायित्व सुनिश्चित करना ।
- प्रभावित बसावटों में जलगुणवत्ता की समस्या निराकरण ।
- ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र में सुधार–पहलों को संस्थागत बनाना ।

मुख्य विशेषताएं

- मानव उपयोग के लिए 40 लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराना ।
- मरूभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में पशुओं के लिए 30 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन अतिरिक्त जल उपलब्ध कराना ।
- प्रति 250 व्यक्तियों के लिए एक हैण्डपम्प अथवा स्टैण्ड–पोस्ट की व्यवस्था करना।
- मैदानी क्षेत्रों में 1.6 कि.मी. की दूरी के भीतर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊँचाई के अंतर पर जल स्रोत उपलब्ध कराना ।

पंचायतों की भूमिका

- भारत के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्रामीण जलापूर्ति का विषय पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया है ।
- पंचायतों को अपने क्षेत्रों में साफ पेयजल मुहैया कराने वाली प्रणालियों तथा स्रोतों के प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभानी है ।
- पंचायतों को योजनाओं के क्रियान्यवन में शामिल किया जा सकता है, विशेष कर हैण्डपम्पों, स्टैण्ड–पोस्टों तथा स्पॉट स्रोतों के स्थान का चयन करने तथा संचालन व रख–रखाव आदि में।

5.2 स्वजल धारा योजना

उद्देश्य

- गांव के हर घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाना तथा उसके रख–रखाव या प्रबन्धन के खर्च को स्वयं गांव–वासियों द्वारा वहन कर आत्मनिर्भर बनाना।

स्वजल धारा के सिद्धान्त

- पेयजल योजना के चयन, डिजाईन, क्रियान्वयन वित्त नियन्त्रण और प्रबन्धकीय व्यवस्था में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- पेयजल योजना की परिसम्पत्तियों पर पंचायतों का स्वामित्व ।
- सभी जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं के आयोजन, क्रियान्वयन, संचालन व रख–रखाव तथा प्रबंध की शक्तियां पंचायतों/समुदाय के पास ।
- प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा आंशिक लागत वहन करना व संचालन व रख–रखाव की 100 प्रतिशत जिम्मेदारी।
- वर्षा के पानी को एकत्र करना तथा भूजल प्रणाली द्वारा संरक्षण–उपाय, ताकि जलापूर्ति टिकाऊ बने।
- सरकार की प्रदायक की बजाय सहायक की भूमिका।

समुदाय का अंशदान

- इस योजना के तहत कुल अनुमानित लागत राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा गांव–वासी वहन करेगें तथा 90 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी । यह अंशदान ऐसे गांवों हेतु है जिनमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पानी उपलब्ध कराना है । उन गांवों में पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल, नई पाईप लाईन अथवा नहर–जल योजना स्थापित की जा सकती है।
- 55 लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक अंशदान 20 प्रतिशत हो जाएगा।
- कम से कम 50 प्रतिशत अंशदान नकद राशि के रूप में जमा किया जाएगा।

प्रक्रिया

- योजना के तहत कोई भी पंचायत गांव में नया टयूबवैल लगवाने या पाईप लाईन गलियों में बिछवाने के लिए प्रस्ताव उप–मण्डल अभियन्ता (जन–स्वास्थ्य) कार्यालय में देगी, जो इसकी फील्ड जानकारी प्राप्त कर इसका एस्टीमेट बनवायेगें।
- पंचायत एक समिति (वी.डबल्यू. एस.सी) का गठन करेगी जिसमें 5 या इससे अधिक सदस्य हो सकते हैं, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो तथा 1/3 सदस्य महिलाएं हों। इसका एक सदस्य चेयरमैन होगा व एक सदस्य विभाग का अधिकारी होगा। इस समिति में से कम से कम दो सदस्य, जिनमें एक विभागीय अधिकारी होगा, संयुक्त बैंक खाता खोलेंगे तथा वे ही इसे चलाने के अधिकारी होंगे । इन सदस्यों की संख्या दो से ज्यादा भी हो सकती है ।
- यह समिति अनुमानित राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा बैंक खाते में जमा करवायेगी ।
- तत्पश्चात, कार्यकारी अभियन्ता द्वारा निर्धारित फार्म पर समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर तथा उपमण्डल अभियन्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट सहित इसे विभागीय सचिव के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेज दिया जाएगा । इसके साथ एस्टीमेट की नकल, बैंक का खाता नम्बर तथा बैंक–खाते में शेष जमा राशि की फोटो–प्रति भी संलग्न की जाती है।
- केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत राशि आवंटन करने के बाद समिति द्वारा यह राशि समिति के खाते में जमा करवा दी जाती है तथा विभाग के तकनीकी अधिकारी की सहायता से कार्य करवाया जाता है।
- कार्य पूर्ण होने के बाद इस परियोजना का रख–रखाव भी समिति करेगी तथा इसका खर्च घर–घर में पानी का कनेक्शन देकर उस से प्राप्त आय से पूरा किया जायेगा

पिछड़े जिलों में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम

1. काम के बदले अनाज कार्यक्रम

उद्देश्य

- खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। रोजगार उत्पत्ति।

लक्षित समूह

- गरीब ग्रामीण जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है।

मुख्य विशेषताएँ

- यह योजना महेन्द्रगढ़ जिले में चल रही है।
- मजदूर को मजदूरी का भुगतान पैसे एवं अनाज के रूप में किया जाता है।
- इसके अन्तर्गत आवश्यकता आधारित आर्थिक सामाजिक तथा सामुदायिक परिसम्पतियों के निर्माण कराए जातें हैं।

2. रोजगार गारण्टी स्कीम।

उद्देश्य

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक अकुशल मजदूर को वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना।

लक्षित समूह

- समस्त ग्रामीण परिवार।

मुख्य विशेषताएं

- मजदूरी की चाहत रखने वाले को ग्राम पंचायत को एक प्रार्थना पत्र देना होता है।
- ग्राम पंचायतें प्राथमिकता के आधार पर जो भी विकास कार्य कराना चाहती हैं, को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिए खण्ड विकास को भेजती हैं।
- यह योजना अभी तक केवल 2 जिलों –महेन्द्रगढ़ तथा सिरसा – में लागू की जा रही है।

किससे सम्पर्क करें:

- सरपंच, ग्राम पंचायत

पंचायत एवं विकास विभाग के कार्यक्रम

1. पी.आर.आई. योजना

उददेश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यो हेतु सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सहायता राशि प्रदान करना ।

मुख्य विशेषताएं

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी की सुविधा, स्ट्रीट–लाईटिंग, सफाई व्यवस्था व सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य कार्य, जो किसी अन्य स्कीम में कवर नहीं हो सकते, के लिए राशि दी जा सकती है ।

योजना के तहत वित्तिय प्रावधान

- इस स्कीम के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का बंटवारा नियमानुसार किया जाता है:
  - 10 प्रतिशत राशि जिला परिषद को ।
  - 15 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों को ।
  - 75 प्रतिशत राशि सीधे ग्राम पंचायतों को ।
- प्राप्त ग्रान्ट का कम से कम 25 प्रतिशत सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा मैचिंग शेयर के रूप में खर्च किया जाना अनिवार्य है ।
- ॲलाट की गई राशि का 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के तीनों स्तरों पर खर्च किया जाना आवश्यक है ।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

1. जिला विकास एवम् पंचायत अधिकारी
2. खण्ड विकास एवम् पंचायत अधिकारी

2. राजस्व–अर्जक योजना

उद्देश्य

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य पंचायतों/पंचायत समितियों को आय अर्जित करने हेतु ब्याज–मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना है ।

कार्यों का विवरण

- पंचायत की शामलात भूमि में टयूबवैल लगवाने हेतु।
- पंचायत की भूमि समतल करने व सुधार हेतु ।
- दुकानों के निमार्ण हेतु ।

प्रक्रिया

इस स्कीम के तहत ऋण लेने हेतु निम्न दस्तावेज पूर्ण करने के उपरान्त केस स्वीकृति हेतु सरकार को भेजे जाते हैं ।

- ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ।
- खण्ड के कनिष्ठ अभियन्ता से प्रस्तावित कार्य का आकंलन/साईट प्लान ।
- पंचायत की भूमि की फर्द, जमा बंदी खसरा, गिरदावरी ।
- प्रस्तावित कार्य से पंचायत को होने वाली आय का ब्यौरा ।
- निर्धारित फार्म पर केस का विवरण ।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- ग्राम पंचायत इस योजना के अन्तर्गत उचित योजना का चयन करेगी और उसके लिए ऋण लेने के लिए प्रस्ताव करेगी ।
- प्रस्तावित कार्य का आकंलन व साईट प्लान तैयार करवाएंगी ।
- पंचायत भूमि की फर्द, जमाबन्दी, खसरा तैयार करवाएंगी ।
- निर्धारित प्रोफार्मा पर पूर्ण करने के उपरान्त केस खण्ड विकास व पंचायत अधिकारी द्वारा उपायुक्त के माध्यम से निदेशक, पंचायत विभाग को भेजा जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

1. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी

3. मैचिंग अनुदान योजना

उद्देश्य

- सामूहिक कार्य, जैसे कि स्कूल भवन, पशु चिकित्सालय, अस्पताल, मनोरंजन केन्द्र, महिला मण्डल, गलियों को पक्का करवाना, हरिजन व पिछड़े वर्ग की चौपालों बनाना व अन्य विकास कार्य, करवाये जाना ।
- इस योजना के अर्न्तगत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निवासियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से एकत्रित की गई धनराशि के बराबर अनुपात में सरकार द्वारा राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या पाठशालाओं के निर्माण के लिए एकत्रित अंशदान की तीन गुना राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है ।
- ग्राम वासियों द्वारा अपने साधनों से एकत्रित धन राशि विशेष उददेश्य हेतु स्वेच्छा से दी गई हो तथा वह राशि जिस कार्य के लिए एकत्रित की गई है उसी कार्य पर खर्च की जाऐगी ।

प्रक्रिया

- योजना चुनें ।
- किसी कनिष्ठ या सहायक अभियन्ता से इसका एस्टीमेट बनवायें ।
- अनुमानित खर्च का 50 प्रतिशत राशि खण्ड कार्यालय के माध्यम से उपायुक्त के पास जमा करवायें।
- शेष 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी ।
- व्यक्ति विशेष अपने प्रियजन की स्मृति में जनसाधारण के प्रयोग में आने वाली किसी परिसम्पत्ति का निर्माण करना चाहता है तो वह कुल अनुमानित खर्च का 50 प्रतिशत धन उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाकर, बकाया 50 प्रतिशत, सरकार से प्राप्त कर सकता है । परिसम्पत्ति का नाम उसके 'प्रियजन की स्मृति के तौर पर निर्माण' रख दिया जायेगा ।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- इस स्कीम के तहत पंचायत, सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से सम्पर्क करके सम्बन्धित राशि को प्राप्ति शीर्ष में जमा करायेगा ।
- ग्राम पंचायत विकास कार्य का साइट व अनुमान आदि तैयार करवाएगी तथा पूर्ण केस तैयार करवा कर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को भिजवायेगी । उपायुक्त नियमानुसार राशि रिलीज करेगा ।
- ग्राम पंचायत एक लाख रूपये तक की राशि से विकास कार्य करवायेगी। कार्य सम्पन्न होने के पश्चात उसका उपयोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपायुक्त को भेजेगी।
- इस योजना के अन्तर्गत बनवाये जाने वाले भवन आदि का स्वामित्व पंचायत के निहीत रहेगा ।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

1. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी

4. हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (एच. आर. डी. एफ.) ग्राण्ट

उददेश्य

इसका प्रमुख उददेश्य कृषि विकास और उसकी बिक्री में सुधार हेतु बुनियादी ढाँचे का विकास करना है । इसका उपयोग ग्रामीण के अन्य चयनित कार्यों में भी किया जाता हैं ।

क्या–क्या कार्य किए जा सकते हैं ?

- सड़कों का विकास ।
- डिस्पैंसरियों की स्थापना ।
- जलापूर्ति के लिए व्यवस्था ।
- स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं ।
- कृषि मजदूरों का कल्याण ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सूचित मंडियों का ऐसी आर्दश मंडियों में परिवर्तन जहाँ सभी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हों।
- मंडियों में गोदामों और कृषि उत्पादों के रखने के लिए स्थानों का निर्माण ।
- किसानों तथा व्यापारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले विश्राम–गृहों का निमार्ण ।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

1. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी

5. सबसिडी स्कीम: चौपालों की मरम्मत

उददेश्य

इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा हरिजन/पिछड़ी जाति की चौपालों की मरम्मत एवं उन्हें पूरा करने हेतु राशि अनुदान के रूप में दी जाती है ।

कार्यों का विवरण

अधूरी चौपालों को पूर्ण करना व उनकी मरम्मत करना ।

प्रक्रिया

सम्बन्धित पंचायत से पारित प्रस्ताव खण्ड कार्यालय को भिजवाया जाता है

सहायता

सरकार की नीति के अनुसार 10,000 रुपये चौपाल की मरम्मत तथा 20,000 रूपये अधूरी चौपाल को पूरा करने हेतु दिए जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

1. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी

6. एल.ए.डी.टी. स्कीम

उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है। यह स्कीम 2004–05 में लागू की गई है ।

कार्यों का विवरण

- इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पीने के पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निमार्ण/ मुरम्मत तथा अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है ।

प्रक्रिया

- इस स्कीम के तहत राज्य सरकार से प्राप्त का बंटवारा/खर्च निम्नानुसार किया जाता है।
- 10% राशि जिला परिषद को ।
- 15% राशि पंचायत समितियों को ।
- 75% राशि सीधे ग्राम पंचायतों को वितरित की जाती है ।
- यह राशि जनसंख्या के आधार पर दी जाती है ।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

1. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी

4. भूमि सुधार योजनाएँ

4.1 कल्लर सुधार

उद्देश्य

- कृषि विभाग हरियाणा की भूमि संरक्षण शाखा द्वारा भूमि सुधार का कार्य इस उददेश्य से करवाया जा रहा है कि कल्लर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढे. उससे अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके ।

विशेषताएँ

- भूमि संरक्षण शाखा के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा फील्ड में किसानों को समय –समय पर भूमि सुधार की जानकारी दी जाती है।
- कल्लर भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम डालना तथा हरी खाद बनाने की मुख्य आवश्यकता होती है। भूमि सुधार के लिए 50 प्रतिशत अनुदान राशि पर अर्थात 1200 रूपये मिट्रिक टन की बजाए 600 रूपये मेट्रिक टन 30 रूपये बैग की दर से किसानों को जिप्सम दी जाती है ।
- जिप्सम प्राप्त करने के लिए एक साधारण प्रार्थना पत्र जिसमें सुधारने वाले खेतों का रकबा लिखा हो मैनेजर भूमि सुधार एवं विकास निगम के नाम नजदीकी सेल सेंटर पर देकर जिप्सम लिया जा सकता है।
- प्रार्थना पत्र गाँव के सरपंच या कृषि विभाग के कार्यकर्ता द्वारा सिफारिश करवाकर तथा राशन कार्ड की फोटो प्रति सहित सेल सेंटर में देकर 2 टन 40 बैग प्रति एकड. की दर से जिप्सम ली जाती है।
- इसके अतिरिक्त हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम द्वारा पिछले चार वर्षो से हरी खाद बनाने के लिए माह अप्रेल मई में ढांचा बीज भी वितरित किया जाता है । ढांचा बीज का वितरण केवल उन किसानों को किया जा रहा है जिन्होंने उस वर्ष में अपने खेतों में भूमि सुधार के लिए जिप्सम डाली हो।

4.2 भूमि समतल करने का कार्य

- इस योजना के अन्तर्गत लघु व सिमान्त किसानों को भूमि सुधार पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

4.3 फव्वारा सिंचाई योजना

- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक फव्वारा सेट पर सामान्य जाति से सम्बन्धित कृ ाकों को 10,000/–रुपये राशि व महिलाओं तथा अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कृ ाकों को 15,000/– रुपये को राशि अनुदान के रूप में दी जाती हैं ।

4.4 भूमिगत नालियों की योजना

- कृषि विभाग हरियाणा की भूमि संरक्षण शाखा द्वारा यह योजना पिछले तीन सालों से चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत किसानो को 25 प्रतिशत की राशि अधिकतम 30,000/–रुपये अनुदान के रूप में केवल आर.सी.सी./एच.डी.पी.ई. पाइपों पर ही दी जाती है।

सम्पर्क करें :

- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी 'भूमि सुधार'।

पशुपालन विभाग के कार्यक्रम

1. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान

योजना का उद्देश्य

उन्नत किस्म के पशु तैयार करना ।

पात्रता

जिले का कोई भी नागरिक, जो पशु पालता हो/रखता हो ।

सहायता का स्वरूप

- कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए स्थानीय पशु संस्था में कृत्रिम के 18 रु0 पशु मालिकों द्वारा भुगतान करना पडता है । यदि पशु मालिक अपना पशु संस्था में नहीं लाना चाहता है तो पशु चिकित्सक को कृत्रिम गर्भाधान करवाने की फीस 56/–रु0 देनी होगी।

सहायता स्थल

पशु चिकित्सक, स्थानीय पशु चिकित्सालय संस्थान या गांव के आसपास का अस्पताल।

कृत्रिम गर्भाधान का फायदा

- उत्तम नस्ल की कटड़ियां पैदा होती हैं जो ब्याहने पर 15 कि.ग्रा. से उपर दूध देती हैं।
- समय पर टीका लगने से गर्भधारण जल्दी होता है।
- संकर नस्ल की बछड़ियां पैदा होती है। जो ब्याहने पर कम से कम 15 से 20 कि. ग्रा. दूध देती हैं।
- कृत्रिम गर्भाधान से पैदा कटड़े व बछड़े उच्च क्वालिटी के बनते हैं क्योंकि इनकी माताओं का दूध 18 कि.ग्रा. से उपर होता है ।

2. मिनी डेयरी योजना

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए स्व–रोजगार के अवसर जुटाना।
- दूध उत्पादन बढानें के लिए तकनीकी जानकारी व प्रसार शिक्षा देना ।

पात्रता

- लाभग्राही की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए ।
- लाभग्राही को हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए ।
- ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए ।

योजना

दुधारू पशु संख्या	वर्ग राशि	इकाई लागत	शैड निमार्ण हेतु	चाफ कटर टोका राशि
20 दु. पशु	सामान्य/पिछड़ा	420000/–	40000/–	6000
10 दु. पशु	सामान्य/पिछड़ा	210000/–	20000/–	6000
5 दु. पशु	सामान्य/पिछड़ा	105000/–	10000	–
3 दु. पशु	अनुसूचित वर्ग	63000/–	–	–
3 दु. पशु	सामान्य/पिछड़ा	63000/–	–	–
3 दु. पशु	विधवा औरत	63000/–	–	-

मिनि डेयरी स्थापित करने के लिए आवेदक के लिए ऋण की व्यवस्था की जाती है। लाभ प्राप्त कर्ताओं को तकनीकी शिक्षा व पशुओं की दवाइयाँ आदि निःशुल्क दी जाती हैं।

अनुदान

- 20/10 दुधारू पशुओं का यूनिट स्थापित होने के उपरान्त दो मास बाद सम्बन्धित पशु चिकित्सक से यह प्रमाण पत्र लेकर कि लाभग्राही के पशु मौजुद हैं अधिकतम 5000/–रूपये की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है ।

लक्षित वर्ग

- ग्रामीण क्षेत्र का अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 50 वर्ष से कम हो व अपने परिवार का मुखिया हो व उसके पास सूअर शैड बनाने के लिए अपनी जगह हो।

सहायता का स्वरूप

- योजना के तहत प्रार्थी को बैंक द्वारा 15000/– रु0 का ऋण स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है जिसमें से 3000/– रु0 पशु पालन विभाग द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है । इस स्कीम में लाभकर्ता को 3 गर्भित मादा सूअर खरीदने के लिए 4500/– रु0 की राशि व उनके लिए शैड बनाने के लिए 5000/–रु0 की राशि व फीड, बर्तन खरीदने के लिए 3500/– रु0 तथा 2000/–रु0 तक सूअर खरीद की व्यवस्था है ।

3.3 संकर बछड़ी पालन प्रोत्साहन योजना

- इस योजना का उददेश्य कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उन्नत नस्ल की बछड़ियां विकसित करके पशुपालकों से उनका पालन करवाना है । इस योजना के तहत पशु पालक को बछड़ी की चार मास की आयु से लेकर 32 मास की आयु तक अनुदानित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का कैटलफीड उपलब्ध करवाया जाता है। ताकि बछड़ी के ब्याने तक पशुपालक पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। अनुदान की राशि की उपरी सीमा 3000/– रूपए है।

लक्षित वर्ग

- ग्रामीण नागरिक जिसकी वार्षिक आय 10,000/– रु0 या इससे कम व 50 प्रतिशत आय कृषि पड़े मजदूरी से हो और जिनकी भूमि सवा एकड़ से कम है, इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

सम्पर्क करें :

- अपने गांव में या निकटतम् पशु संस्था के इन्चार्ज से अथवा
- उपनिदेशक, सघन पशुधन विकास परियोजना

मत्स्य पालन विभाग के कार्यक्रम

1. मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजनाएँ

उद्देश्य

मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी में वृद्धि करना।

सहायता

- मत्स्य पालन हेतु किसानों को निःशुल्क सलाह, तकनीकी सहायता, बैंक लिंकेज, निर्धारित दरों पर बीज उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मत्स्य एवं ताजे पानी में झींगा पालन के लिये 6000/– रुपये से लेकर 500000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान कुल लागत का 10 से 25 प्रतिशत होता है।
- अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेजः
    1. प्रार्थना पत्र
    2. 3 पासपोर्ट साइज फोटो
    3. जमीन की फरद व अक्स माजरा या पंचायत के पट्टेनामे के रेजूलेशन की नकल व पट्टे की धनराशि की 4 नं.0 की रसीद
    4. मत्स्य किसान व मत्स्य विभाग के बीच तीन रूपये के अदालती कागज पर इकरारनामा
    5. मत्स्य किसान द्वारा तीन रुपये के अदालती कागज पर एफेडेविट
    6. मत्स्य किसान व पंचायत के बीच इकरारनामा (लीज डीड)
    7. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

योग्य मत्स्य किसान हेतु शर्तें:

1. प्रार्थी उसी जिले का निवासी होना चाहिये जिस जिले में तालाब बनाया जाना है।
2. भूमि प्रार्थी के नाम अथवा मान्यता प्राप्त अधिकार पत्र होना चाहिये।
3. प्रार्थी की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. भूमि टाईटल का प्रमाण पत्र (राजस्व अधिकारी द्वारा)।
5. कृषि विभाग से वाटरलोग्ड एरिया अथवा खारे पानी का प्रमाण पत्र।
6. सर्विस एरिया बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

- जिला मत्स्य अधिकारी

वन विभाग के कार्यक्रम

1. पौध वितरण कार्यक्रम

उद्देश्य

- वानिकी एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर राज्य में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाना, वनोपण की जरूरतों को पूरा करना तथा लोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद करना।

लक्षित वर्ग

- समाज के सभी लोग जो वृक्ष लगाने में रूचि रखते हैं।

सुविधाएँ

- विभिन्न जिलों में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विभाग की नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लोगों में वितरण के लिए तैयार किये जाते हैं।
- लोगों को पौधे मुफ्त वितरित किये जाते हैं।
- पौधे लगाने के समय से कुछ दिन पहले विभाग द्वारा हर एक नर्सरी में उपलब्ध प्रजातियों की संख्या का लीफलेट इत्यादि के माध्यम से प्रचार किया जाता है।
- पौधे ले जाने के लिये लोगों को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है।
- पौधे लेने के लिए अपनी पंचायत के सरपंच से एक प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो यह प्रमाणित करता हो कि आप के पास पौधे लगाने के लिए जमीन उपलब्ध है।
- अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विभाग की नर्सरी या वन विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क करें।

2. पौधारोपण कार्यक्रम

- वन विभाग द्वारा सरकारी भूमि के अतिरिक्त, पंचायत, समुदाय तथा शामलात भूमि पर भी पौधारोपण किया जाता है। इसके लिए जिला स्तर पर वन मण्डल अधिकारी से सम्पर्क करे।

3. वन विकास निगम

- वन विकास निगम हर वर्ष विभिन्न प्रजाति के विभिन्न आकार के लकड़ी की दर–सूची निकालती है। अगर आप अपने खेतों पर खड़े पेड़ों के लिये बाजार में उचित मूल्य नही पाते हैं तो निगम द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उन्हें पेड़ बेच सकते हैं।
- अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम तथा पंचकूला (मुख्यालय) पर महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम से सम्पर्क करें।

4. राज्य औषधीय पौध बोर्ड

- केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड की सहायता से राज्य औषधीय, पादप बोर्ड, औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सुविधाएँ देता है।
- कुल 16 प्रकार के औषधीय पौधों को लगाने पर बोर्ड की तरफ से 30 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
- अनुदान पाने के लिये कृषक को बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना होगा व कृषक को उत्पाद की ब्रिकी के लिए खरीददार से लिखित रूप में समझौता करना होगा।
- अधिक जानकारी के लिए सदस्य सचिव, राज्य औषधीय, पादप बोर्ड, पंचकूला से सम्पर्क करें।

बागवानी विभाग के कार्यक्रम

बागवानी प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य

- बागवानी को बढ़ावा दें, भूमि की उत्पादन क्षमता एवं किसानों के आर्थिक स्तर में सुधार करना।
- रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- सुनिश्चित पोषण।

सहायता

- उद्यान कृषकों को ऋण दिलवाने में सहायता।
- फलों के विस्तार के लिए 1750 से 17500 रू॰ प्रति हैक्टेयर के पौधे व अन्य सामग्री मुफ्त।
- पौधा संरक्षण संयन्त्र पर 5 प्रतिशत अनुदान।
- फूल, औषद्यिय एवं सुगंधित पौधों के टिशु कल्चर द्वारा तैयार पौधों पर 25 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 10000 रुपये प्रति कृषक।
- शून्य ऊंजी कक्ष के लिये 2500 रुपये अनुदान।
- टपका सिंचाई प्रणाली स्थापति करने के लिए 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 13000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
- बे–मौसमी सब्जी उत्पादन तथा बीमारी रहित नर्सरी उप्पादन के लिये ग्रीन हाऊस पर 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 25000 रूपये प्रति 500 वर्ग मीटर।
- 1500/– रूपये के मुफ्त औषधीय व सुंगधित पौधे व अन्य सामग्री/उनके पोसैसिंग प्लांट लगाने के लिए 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा 25000/– रुपये।
- S.H.G को औषधीय व सुगंधित पौधे के क्षेत्र विस्तार व पौधा सामग्री तैयार करने के लिए 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा 12,500/– रुपये।
- सब्जियों व मसालों के प्रद्रर्शन प्लाट लगाने के लिए 25 प्रतिशत अनुदान।
- फूल उत्पादन के लिए 2 कनाल क्षेत्र के लिए 10,000/– रुपये के बल्व व अन्य सामग्री तथा बीज वाले फूलों के लिये 2000/– रूपये के बीज व अन्य सामग्री

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

- जिला उद्यान अधिकारी

इसके पश्चात् ऋण केस बैंक में भेज दिया जाता है और बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

उद्योग, व्यापार व सेवा उपक्रम

इस योजना के अधीन तमाम तरह के उद्योग, व्यापार व सेवा उपक्रम लगाए जा सकते हैं जिनमें से कुछ की सूचि नीचे दी गई है।

- आरा–मशीन, आटा/मसाला/बेसन– चक्की, स्टील, फर्नीचर, गेट ग्रिल/प्लास्टिक/रबड़ की वस्तुएं/जूते, चमड़े की वस्तुएं/होजरी की वस्तुएं बनाना, मोमबत्तियां/चॉक/अगरबत्तियां बनाना/लकड़ी की वस्तुएं/फर्नीचर/बुग्गी बनाना, बिजली का सामान/स्विच बोर्ड, रसायन/साबुन/डिटरजेन्ट बनाना, पोल्ट्री/डेयरी वस्तुएं/आईसकैण्डी बनाना, सर्जिकल बैंडेज, लेदर बेल्ट, सीमेन्ट जाली, लेन्स ग्राईडिंग, पॉटरी, और नमकीन बनाना आदि।
- आयुर्वेदिक दवाईयों की दुकान, फल–रस की दुकान, केरोसिन की दुकान, स्कूटर पार्ट्स की दुकान, पंतग डोरी की दुकान, स्पोर्ट्स सामान की दुकान, स्टील बर्तनों की दुकान, पनवाड़ी की दुकान, चाय की दुकान, स्टेशनरी स्टोर, ऊन बेचने की दुकान, किरयाना/कपड़े की दुकान, बिल्डिंग मैटिरियल की दुकान, फल व सब्जी की दुकान इत्यादि ।

सम्पर्क करें :

- महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम

1. देवी रूपक योजना

- उद्देश्य जनसंख्या में स्थिरता लाना व घटते पुरूष स्त्री अनुपात को रोकना है।

पात्रता

- पति पत्नी आयकर दाता न हो।
- दम्पति को ग्राम पंचायत में पंजीकरण करवाना होगा।
- परिवार कल्याण का स्थाई तरीका अपनाने के समय छोटे बच्चे की आयु 5 वर्ष तक हो।

सहायता

- जो भी दम्पति परिवार कल्याण की नसबन्दी या नलबन्दी योजना को पहले या दूसरे बच्चे (यदि वह दोनों बच्चे लड़कियां हों) के जन्म के बाद स्वीकार करें, तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 20 वर्ष के लिए 500/ रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। देवी रूपक योजना के अन्तर्गत मिलने वाली मासिक प्रोत्साहन राशि :

• पहले बच्चे लड़की के जन्म पर	500/– रु. प्रति मास 20 वर्ष तक
• पहले बच्चे (लड़के) के जन्म पर	200/– रु. प्रति मास 20 वर्ष तक
• दूसरे बच्चे (लड़की) के जन्म पर (यदि पहला बच्चा भी लड़की है)	500/– रु. प्रति मास 20 वर्ष तक

सम्पर्क करें :

- नजदीकी स्वास्थ्य संस्था

2. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की गर्भवती महिलाओं को 500/ रूपए दिए जाते है।

शिक्षा विभाग के कार्यक्रम

1. मिड–डे मील स्कीम

उद्देश्य

- इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वालें बच्चों का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाना ।
- नामांकन बढ़ाकर बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना तथा उपस्थिति सुनिश्चित करने व बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार लाना ।

मुख्य विशेषताएं

- पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को पका–पकाया भोजन जिसमें 300 ग्राम कैलारी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा शामिल हो, दिया जाता है ।
- इसके अन्तर्गत बच्चों को पका–पकाया भोजन देने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 4 तरह के मिश्रणों रैसपीज (दलिया, मीठे चावल, वैजीटेबल तथा बाकली) का भोजन बच्चों को प्रदान किया जा रहा है।

2. सर्वशिक्षा अभियान

उद्देश्य

- सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देना सुनिश्चित करना है ।

मुख्य विशेषताएं

- इस परियोजना में विद्यालयों, अध्यापकों, शैक्षणिक परिस्थितियों को बदलने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने व बच्चों के सहायतार्थ विभिन्न कार्यक्रम हैं ।
- सर्वशिक्षा अभियान के अंदर विभिन्न कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं–

2.1 मुफ्त पाठ्य पुस्तकें

उद्देश्य

- लड़कियों व अनुसूचित वर्ग के लड़कों का विद्यालयों में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित कराना है।

सहायता

- सर्वशिक्षा अभियान के इस अंग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की सभी लड़कियों व अनुसूचित जाति वर्ग के लड़कों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं इसमें 150 रु प्रति बच्चा व्यय करने का प्रावधान है ।

2.2 विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

उद्देश्य

- कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले किसी भी तरह से विकलांग बच्चों का नामांकन व विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना।

सहायता

- सर्वशिक्षा अभियान के इस अंग के अन्तर्गत 1200 रु प्रति बच्चा प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान है । जिसके अन्दर मेडिकल असेसमेन्ट कैम्पों का आयोजन करना, दवाईयां, विकलांगता के प्रकार व मात्रा के अनुसार सहायता उपकरण उपलब्ध करवाना है। इसके अन्तर्गत हर वर्ष व्हीलचेयर, ट्राईसाईकल, कटचिज (बैसाखी), चश्में व सुनने की मशीनें इत्यादि उपलब्ध करवायी जाती हैं ।

2.3 नये स्कूल खोलना

उद्देश्य

- 6 से 11 आयु के सभी बच्चों को एक कि.मी. अन्दर व 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल अथवा वैकल्पिक विद्यालय उपलब्ध करवाना है ।

कार्य

- सर्वशिक्षा अभियान के अंग के अन्तर्गत यदि एक कि.मी. के दायरे में प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर विद्यालय खोलने का प्रावधान है। ऐसे नये स्कूलों में दो दो कमरे व दो अध्यापक दिये जाते हैं। माध्यमिक कक्षाओं (6 से 8) के लिए तीन कि.मी. के दायरे में यदि विद्यालय नहीं है तो नया विद्यालय खोला जा सकता है। इस प्रकार नये विद्यालय में तीन अध्यापकों का लगाना व तीन कमरों का निमार्ण किया जाता है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि नकद में नहीं दी जा सकती। लाभार्थी 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए। क्रमांक 3 पर प्रदर्शित स्कीम के लिए बच्चा 3 से 6 आयु वर्ग का होना चाहिए। लाभार्थी कक्षा एक से आठ पढ़ता होना चाहिए अथवा यह लाभ प्राप्त करते ही वह स्कूल में दाखिल होना चाहिए ।

2.4 निर्माण कार्य

उद्देश्य

- बच्चों को स्कूली सुविधा उपलब्ध करवाना।

कार्य

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथिमिक विद्यालय में 2 कमरे व प्रत्येक उच्च विद्यालय में 3 कमरों का निमार्ण सुनिश्चित किया जाना है । प्रति 40 बच्चों पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निमार्ण करवाया जाता है । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य–अध्यापक के लिए भी अलग से कमरे का निमार्ण करने का प्रावधान है । एक कमरे के निमार्ण के लिए 1.70 लाख रु. दो कमरों के निमार्ण के लिए 3.10 रु. लाख व तीन कमरों के निमार्ण हेतु 4.80 लाख रु. का प्रावधान है ।

2.5 सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण

उद्देश्य

- शिक्षा व शैक्षिक परिस्थितियों में गुणवत्ता लाना ।

कार्य

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 8 तक जुड़े प्रत्येक अध्यापक के लिए वर्ष में 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है । यह प्रशिक्षण गर्मी की छुट्टियों में इ.0 टी.0 टी.0 के माध्यम से दिया जाता है । इस मद के अन्तर्गत प्रति अध्यापक 70 रु प्रतिदिन का दर से देने का प्रावधान है । इन प्रशिक्षण शिविरों का उद्देश्य पढाने की नई तकनीकी की जानकारी करवाना, लड़कियों व अनुसूचित वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देना, कम्प्यूटर शिक्षा, 6 से 14 आयु वर्ग की सभी बालकों को स्कूल में लाना आदि है।

सम्पर्क करें:

1. चेयरमैन (अतिरिक्त उपायुक्त) सर्वशिक्षा अभियान
2. जिला प्रयोजना समन्वयक (जिला शिक्षा अधिकारी) सर्वशिक्षा अभियान

जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम

1. पेयजल एवं सीवरेज

उद्देश्य

गांव में जन साधारण को घर में स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध करवाना ।

प्रक्रिया : (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)

- इस कार्य के लिए विभाग द्वारा छपवाए गए प्रार्थना पत्र पर आवदेन किया जाता है जिसे सम्बन्धित उपमण्डल कार्यालय से प्राप्त कर तथा भरकर उस पर पंच या सरंपच से हस्ताक्षर करवा कर उपमण्डल अभियन्ता कार्यालय में जमा करवाया जाता है ।
- पानी के कनेक्शन के लिए पाईप में (जिसमें पानी का कनेक्शन करना है) 32 फुट / 10 मीटर प्रेशर होना जरूरी है ।
- उपमण्डल अभियंता सम्बन्धित कनिष्ठ अभिययंता से इसकी कार्य सम्भव जानकारी प्राप्त करने के बाद इसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
- इसके बाद प्रार्थी इसकी कनेक्शन फीस उपमण्डल कार्यालय में जमा करवाएगा ।
- पानी का कनेक्शन किसी लाईसेंस धारी प्लम्बर से विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में करवाया जाता है ।
- कनेक्शन की फीस : 500 रू प्रति कनेक्शन
- मासिक बिल : 20 रू प्रति कनेक्शन

नोट: पानी के कनेक्शन पर मोटर लगाना अनाधिकृत है जिसके पकड़े जाने पर भारी जुर्माना किया जा सकता है अथवा 100 रु. प्रति महीना शुल्क चार्ज भी किया जा सकता है ।

महिला एवं बाल–विकास विभाग के कार्यक्रम

1. समेकित बाल विकास कार्यक्रम

उद्देश्य

- छः वर्ष तक के बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव डालना।
- मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृति को कम करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियां और कार्यों में प्रभावी तालमेल स्थापित करना।
- अपने बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमताओं में वृद्धि करना।

सेवाएं :

- **पूरक पोषाहार**

  ➢ बच्चों को पूरक पोषाहार 1 रु. 43 पै. पैसे प्रतिदिन प्रति बच्चा तथा माताओं को 2 रु.0 50 पै. प्रतिदिन प्रतिमाता की दर से दिया जाता है जिसमें खाद्य सामग्री का परिवहन का व्यय भी शामिल है। अति कुपोषित बच्चों को 2.86/– रुपये की दर से आहार दिया जाता है।

- **टीकाकरण**

  ➢ बच्चों को तपेदिक, गलघोटू, काली खांसी, टिटनस, पोलियो व खसरा रोग से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को टिटनस के टीके लगाए जाते हैं। टीके लगाने का कार्य स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया जाता है।

- **स्वास्थ्य जांच**
  - ➢ बच्चों और माताओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताओं तथा छः वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराई जाती है।
- **संदर्भ सेवाएं**
  - ➢ जो बच्चे एवं माताएं गम्भीर रूप से बीमार हों, उनके माता पिता/संरक्षकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह उनका इलाज किसी अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टर से करवाएं।
- **पोषाहार एवं स्वास्थ्य–शिक्षा**
  - ➢ 15 से 44 वर्श की आयु की सभी औरतों को पोशाहार और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देते समय गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को प्राथमिकता दी जाती है। पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिए गांवों में कैम्प आयोजित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर–घर जाकर गृहणियों को पोषाहार व स्वास्थ्य शिक्षा देती हैं। भोजन पकाने और खिलाने के प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।
- **अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा**
  - ➢ 3–6 साल तक के बच्चों को उचित मनोवैज्ञानिक शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखने के लिए आंगनवाड़ियों में अंकुर पुस्तक दी जाती है जिसमें कविताएं, कहानियां, खेल व पहेलियां शामिल हैं।

सम्पर्क करें :

- गांव स्तर : आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- सर्कल स्तर : सुपरवाइजर
- खंड स्तर : बाल विकास परियोजना अधिकारी
- जिला स्तर : कार्यक्रम अधिकारी (आई.सी.डी.एस.)

2. बालिका समृद्धि योजना

उद्देश्य

- योजना के अन्तर्गत (क) बालिका को जन्मोपरान्त 500 रूपए की राशि की सहायता (ख) जब बालिका स्कूल जाने लगे तो उसे निम्न दरों पर छात्रवृति प्रदान करना।

कक्षा	छात्रवृति की वार्षिक दर
1—3	प्रत्येक कक्षा के लिए 300/— रूपए
4	500/— रुपए
5	600/— रुपए
6—7	700/— रुपए (प्रत्येक कक्षा के लिए)
8	800/— रुपए
9—10	1000/— रुपए (प्रत्येक कक्षा के लिए)

- राशि वर्ष में सफलता पूर्वक कक्षा पास करने के उपरान्त ही दी जाएगी।
- जिन बालिकाओं की माताओं को 500/— रुपए की सहायता दी जा चुकी है उन लड़कियों को केवल छात्रवृति ही दी जाएगी।
- बालिका के जन्म उपरान्त 500 रुपए की राशि की सहायता।
- बालिका जब स्कूल जाने लगे तब कक्षा 1 से 10 तक 300 सौ रुपए से 1000 रूपए तक की छात्रवृति।

लक्षित वर्ग

- लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंध रखने वाली लड़कियों को दिया जाएगा।
- एक परिवार में अधिक से अधिक दो लड़कियों को ही लाभ दिया जाएगा चाहे उस परिवार में कितने ही बच्चे क्यों न हों।

सहायता प्राप्त करने का तरीका

- निर्धारित प्रपत्र आंगनवाड़ी वर्कर से निशुल्क प्राप्त करें।
- सुपरवाइजर द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र की जांच करके बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेज दी जाती है।

राशि का वितरण

- बालिका के जन्म पश्चात 500/– रूपए की राशि की सहायता एवं छात्रवृति की राशि बालिका के नाम एवं नामजद अधिकारी के नाम अधिकतम ब्याज वाले संयुक्त खाते जैसे कि पब्लिक प्रोविडैन्ट फंड या राष्ट्रीय बचत पत्र में आसपास के बैंक अथवा डाकघर में जमा करवाई जाएगी।

पैसे निकालने की सुविधा

- माता/संरक्षक की अनुमति से 500/– रुपए की राशि अथवा छात्रवृति राशि में से कुछ भाग बालिका के नाम भाग्यश्री बालिका कल्याण बीमा योजना में प्रीमियम की अदायगी के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- वार्षिक छात्रवृति में से बालिका के लिए पुस्तकें अथवा वर्दी खरीदने की अनुमति है।
- एक खाते में जमा करवाई गई राशि को समय से पूर्व निकलवाने की मनाही होगी।

राशि की अदायगी

- लड़की की 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही उसे ब्याज सहित खाते में से पैसे निकालने की अनुमति है।
- लड़की की 18 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने की स्थिति में जमा राशि का लाभ नहीं मिलेगा।

पंचायतों की भूमिका

- योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि लड़की 18वें जन्मदिन पर अविवाहित है।

सम्पर्क करें :

- गांव स्तर — आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- खंड स्तर — बाल विकास परियोजना अधिकारी
- जिला स्तर — कार्यक्रम अधिकारी

5.1 व्यक्तिगत प्रोजेक्ट

उद्देश्य

- महिलाओं को आत्मनिर्भर करना।

पात्रता

- वार्षिक आय 25000/–से अधिक न हो।
- महिला के पति/– माता पिता आयकर दाता न हो।

लाभ

योजना के अंतर्गत एक लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए राशि ऋण के रूप में निम्न प्रकार से दी जाती है:

- अनुदान(सबसीडी) 10% अधिकतम राशि 5000/–रुपए तक
- लाभप्राप्तकर्ता का हिस्सा 10%
- शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत/व्यवसायिक द्वारा
- व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 25000 से अधिक परन्तु एक लाख रुपए से कम हो, उन्हें दो लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- इस श्रेणी के लाभ पात्रों को केवल सीमान्त राशि 25 प्रतिशत की दर से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान की जाती है।

5.2 महिला स्वयं सहायता समूह

- महिला समूहों को आर्थिक कार्य शुरू करने के लिए 3 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट लिए सहायता दी जाती है महिला समूहों को 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10000/– रुपये तक सबसीडी दी जाती है। सबसीडी के साथ साथ 25 प्रतिशत मार्जिन मनी 8 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान की जाती है।
- महिला समूहों के लिए रिवाल्विंग फंड की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत उन्हें 10000/– रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। इसकी रिकवरी 2 – 3 वर्ष में की जाती है।

सम्पर्क करें :

- जिला प्रबंधक हरियाणा महिला विकास निगम

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम

1. वृद्धावस्था पेंशन

उद्देश्य

- समाज के वृद्ध पुरूषों एवं महिलाओं को सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना।

सहायता की राशि

- 200/– रूपए मासिक।

पात्रता

- आयु 60 वर्ष या इससे उपर।
- योग्य पति/पत्नी अलग अलग पैन्शन पाने के हकदार हैं।
- भूतपूर्व सैनिक की योग्य पत्नी पैन्शन पाने की हकदार है।
- प्रार्थी स्वयं/बच्चे आयकर दाता, राजपत्रित अधिकारी, भूतपूर्व संसद सदस्य, विधायक नहीं होना चाहिए।
- प्रार्थी किसी अन्य साधन से 200/– रुपए या इससे अधिक सहायता न प्राप्त कर रहा हो।

पेन्शन स्वीकृति का माध्यम

- लाभ पात्रों का चयन समय समय पर जांच समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं।

पेन्शन वितरण

- गांव में पटवारी द्वारा हर माह की 7 तारीख तक पैन्शन वितरित की जाती है।

सम्पर्क करें :

- जिला समाज कल्याण अधिकारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा
बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

1.	आवेदक का नाम	श्री/श्रीमती ---		
2.	पिता/पति का नाम	श्री --		
3.	जन्म तिथि / वर्ष (प्रमाण यदि कोई हो)	आयु ------------------------ प्रमाण ----------------------		
4.	स्थाई पता	गांव/शहर --------------------------- मकान नं० ----------- डाकखाना/वार्ड ---------------------- ब्लाक --------------- तहसील ------------------------------ जिला ----------------		
5.	हरियाणा राज्य अधिवासी	हां	नहीं	
6.	क. क्या आपको कोई आर्थिक सहायता/पेंशन मिलती है ? ख. यदि हां, तो प्रतिमास कितनी ?	हां	नहीं	
7.	क्या आप पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते हैं यदि हां,	हां/नहीं	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
8.	क्या आवेदक के बच्चे सरकारी सेवा या स्थानीय निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में प्रथम या द्वितीय श्रेणी के या समकक्ष अधिकारी हैं ?	हां	नहीं	
9.	क्या आवेदक के बच्चे प्राईवेट क्षेत्र की संस्थाओं में नियुक्त हैं तथा द्वितीय श्रेणी या समकक्ष के बराबर वेतन लेते हैं ?	हां	नहीं	
10.	क्या आवेदक स्वयं या उसके बच्चे सम्मुख दर्शाये गये किसी व्यसास में कार्यरत है । यदि हां, तो सम्बन्धित मार्क कीजिये ?		डाक्टर/रजिस्टर्ड मैडिकल प्रेक्टीशनर/वकील/चार्टिड एकाउटैंट/आयकर परामर्शदाता/वित्तीय अथवा प्रवन्धकीय सलाहकार/दन्त चिकित्सक/इंजीनियर/वास्तुक (आर्किटैक्ट)/किसी भी व्यवसाय के ठेकेदार, कोई अन्य	
11.	क्या आवेदक अथवा उसके बच्चे आयकर दाता हैं ?	हां	नहीं	
12.	क्या आवेदक स्वयं/उसके बच्चे भूतपूर्व/वर्तमान/सांसद/विधायक, बोर्डों/बैंकों निगमों के अध्यक्ष हैं ?	हां	नहीं	

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती ------------------------------------ पुत्र/पुत्री/पत्नी ----------------------------
निवासी गांव/शहर -------------------- डाकखाना ------------ तहसील --------------------------------
जिला ---------- सत्यानिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ठीक एवं सत्य है

नम्बरदार/वार्ड प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम ---------------------
तिथि ----------------------

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
तिथि --------------------------

जांच समिति की सिफारिशें

1. आयु -----------------------------

2. क्या आवेदक बुढ़ापा पैंशन के योग्य हैं ? हां नहीं

3. जांच समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर ----------------------------

--------------------	--------------------	-----------------------
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(नाम व पद संज्ञा सहित)	(नाम व पद संज्ञा सहित)	(नाम व पद संज्ञा सहित)

निरीक्षण

-------------------------	-------------------------	--------------------------
निरीक्षण अधिकारी (1) उपायुक्त	(2) उप-मण्डल अधिकारी नागरिक	(3) तहसीलदार

रिपोर्ट --

नोट :- (1) कालम नौ के लिए द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के बराबर वेतन 4,000 रुपये प्रति माह माना जाए ।

(2) कालम में निशान मार्क इस प्रकार किया जाए :- ✓

2. विधवा पैन्शन

उद्देश्य

- समाज की विधवा महिलाओं को सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना।

सहायता की राशि

- 200/– रुपए मासिक।

पात्रता

- महिला की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।
- सभी योग्य विधवा एवं निराश्रित महिलाएं पैन्शन की हकदार हैं।
- प्रार्थी के परिवार की सालाना आमदनी 10,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसी भी स्रोत से 200/– रुपए या इससे अधिक मासिक सहायता प्राप्त नहीं कर रही हो।

स्वीकृति का माध्यम

- फार्म सरपंच द्वारा सत्यापित हो।
- हल्का पटवारी से आय रिपोर्ट।
- लाभ पात्रों की पहचान का कार्य प्रतिमास तहसील/सब तहसील पर तीन सदस्यीय टीम, जिसमें तहसीलदार/नायब तहसीलदार, चिकित्सा अधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी का प्रतिनिधि शामिल है, के द्वारा किया जाता है।

सम्पर्क करें :

- जिला समाज कल्याण अधिकारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा
विधवा/निराश्रित पेंशन के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम --

2. पिता/पति का नाम --

3. शिनाख्ती चिन्ह --

4. आपका जन्म किस वर्ष में हुआ ---------------------------आयु-----------------

5. क्या आप अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं ? हां --------------------- नहीं ---------------

6. क्या आप पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हैं ? हां --------------------- नहीं ---------------

7. पता जिस पर पेंशन लेने के इच्छुक हैं । --

8. (क) आप हरियाणा राज्य में कब से रह रहे हैं । --

   (ख) पता जिस पर रह रहें हैं । --

   (ग) क्या आप हरियाणा के अधिवासी (Domicile) हैं ? --

9. (क) आपकी अपनी प्रतिमास आमदनी कितनी है ? --

   (ख) अचल सम्पत्ति जैसा कि मकान, जमीन का विवरण । --

   (ग) आजकल आप किसके साथ रहती हैं ? --- पिता ------------पुत्र/पौत्र------------पति-----

   --------------अन्य----------------------------

   (घ) क्या वह आपका खर्च उठाते हैं ? --

10. (1) केवल विधवा औरतों के लिए :

    (क) पति की मृत्यु कब हुई ? --

    (ख) मृत्यु से पहले पति का व्यवसाय तथा पति की आमदनी ----------------------------------

    (2) केवल बेसहारा, विवाहित औरतों के लिए :

    (क) पति के कमाने योग्य न होने के कारण ? ----------------------------------

    (ख) यदि पति ने छोड़ दिया है/गायब है तो कब से ----------------------------------

    (3) केवल बेसहारा अविवाहित औरतों के लिए :

    (क) यदि आपके पिता जीवित हैं तो वे आपकी देखभाल क्यों नहीं कर सकते ? ----------------------------------

    (ख) मृत्यु से पहले पति का व्यवसाय तथा पति की आमदनी ----------------------------------

11. (क) आपको कोई आर्थिक सहायता/पेंशन भी मिलती है ? हां --------------------नहीं---------

5. न्यू स्वर्णिमा

उद्देश्य

- पिछड़े वर्ग की महिलायें, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, के लिए यह स्कीम है।

लाभ

- इसमें लोन की सीमा 50,000/– रुपए तक है।

6. माइक्रो फाइनेंस स्कीम

- माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चलन में है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को 25000/– रुपए तक ऋण दिया जाता है।

7. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

उद्देश्य

- निगम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनका जीवन स्तर उठाना।

स्कीमें

- निगम अनुसूचित जाति के उन ग्रामीण परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 20,000/– रूपए है, विभिन्न आमदनी बढ़ाने की योजनाओं, जैसे पशुपालन, हथकरघा, आटा चक्की, दरी बनाना, चमड़ा और चमड़े के कार्य, फोटोग्राफी तथा आटो रिक्शा, आदि, के लिए 5 प्रतिशत वा ि िक ब्याज की दर से 50,000/– रुपए तक वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।
- ऋण की वसूली 5 वर्षों में छः माही किश्तों में की जाती है।
- कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/– रुपए है। 10 प्रतिशत सीमांत धन के रूप में तथा को ा बैंकों से बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों जिनकी वार्षिक आय 40,000/– रुपये तक है। उनको कार (टैक्सी), आटो–रिक्शा खरीद योजना, हल्के वाणिज्य वाहन खरीदने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं विकास निगम द्वारा सहायता दी जाती है।

सम्पर्क करें :

- जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति कल्याण निगम

8. हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

उद्देश्य

- पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को स्वावलंबी बनाना।

स्कीमें

- टर्म लोन व मार्जिन मनी लोन स्कीम।

गतिविधियां

- कृषि सम्बन्धित क्षेत्र।
- छोटे धन्धे/दस्तकारी, परम्परागत कार्य।
- सर्विस सैक्टर।
- यातायात।

ऋण की राशि

- 5 लाख रुपए तक।

ब्याज दर

- 3 प्रतिशत वार्षिक से 6 प्रतिशत वार्षिक।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यक्रम

1. मकान बनाने हेतु अनुदान

उद्देश्य

- पक्का मकान बनाना।

पात्रता

- अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्ति।
- प्रार्थी के पास रहने योग्य मकान न हो तथा उसके पास कम से कम 50 वर्ग गज का प्लाट हो तथा पहले इस प्रयोजन हेतु अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।

अनुदान सीमा तथा मकान बनाने की अवधि

- मकान बनाने हेतु 10,000/– रुपये का अनुदान जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिया जाता है तथा अनुदान प्राप्ति के 6 मास के अन्दर 12'x12' का कमरा तथा 6'x6' की रसोई बनानी होती है।

आवेदन

- विभाग द्वारा अप्रैल/मई मास में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- जिला/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों द्वारा मुफ्त आवेदन पत्र प्रदान किए जाते हैं।

सम्पर्क करें :

जिला/तहसील कल्याण अधिकारी

2. बस्ती सुधार योजना

उद्देश्य

- अनुसूचित जातियों की बस्तियों/मोहल्लों में उनके वातावरण सुधार के लिए मूल सुविधाएं जैसे गलियां, सड़कें तथा नालियां आदि पक्की करवाना।

पात्रता

- गांव की बस्ती की 25 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की होनी चाहिए।

अनुदान की सीमा

- 50,000/रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है।

आवेदन तथा चयन विधि

- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- आवश्यक आवेदन पत्र संबंधित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर उनके कार्यालय में निश्चित समयानुसार दिया जाता है।
- इनका अनुमानित खर्चा ग्राम पंचायत अपने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से जिला कल्याण अधिकारी को भिजवाती है।
- उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की सिफारिश से योजना उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की जाती है।
- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्माण संबंधी कार्यवाही करनी होती है।
- कार्य समाप्ति पर जिला कल्याण अधिकारी को राशि प्रयोग प्रमाण पत्र भेजना होता है।

सम्पर्क करें :

- जिला/तहसील कल्याण अधिकारी

3. लड़कियों की शादी हेतु अनुदान

उद्देश्य

- हरियाणा के स्थाई निवासी अनुसूचित/विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति की विधवाओं /निराश्रित महिलाओं को उनकी लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता देना।

अनुदान सीमा

- दो लड़कियों की शादी तक प्रत्येक लड़की की शादी हेतु राशि 10,000/– रूपये शादी की तिथि से एक मास के अन्दर।

पात्रता की शर्तें

- अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास जातियों की विधवाएं एवं निराश्रित महिलाएं।
- प्रार्थी विधवा अथवा निराश्रित होनी चाहिए।
- लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आयु प्रमाण पत्र स्कूल से।
- प्रार्थी का नाम गरीबी रेखा की सूची में होना चाहिए।
- मां बाप की मृत्यु के बाद राशि लड़की के संरक्षक/अभिभावक को दी जाती है।

सम्पर्क करें :

- तहसील/जिला कल्याण अधिकारी

6. अन्तर्जातीय विवाह योजना

उद्देश्य

- समाज में जातिवाद की भावना कम करना।

पात्रता

- प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो।
- आवेदन पत्र शादी के एक वर्ष के अन्दर देना होगा।

अनुदान सीमा

- 25000/– रुपए की राशि जिसमें से 10,000/– रूपए नकद तथा 15,000/–रुपए नवविवाहित जोड़े के संयुक्त नाम से 6 वर्षीय फिक्स डिपोजिट के रूप में दिए जाते हैं।

सम्पर्क करें :

- तहसील/जिला कल्याण अधिकारी

7. उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन

उद्देश्य

- अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई के कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना।

अनुदान राशि

- 5000/ रुपए प्रति पंचायत।

सम्पर्क करें :

- जिला/तहसील कल्याण अधिकारी

8. सिलाई प्रशिक्षण योजना

उद्देश्य

- अनुसूचित जाति की विधवाओं, बेसहारा औरतों व गरीब लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी आजिविका चलाने योग्य बनाना।

छात्रवृति

- 100/– रुपए प्रतिमाह छात्रवृति।
- 50/– रुपए मासिक कच्चे माल के लिए।
- प्रशिक्षण पूरा करने पर एक सिलाई मशीन मुफ्त।

पात्रता

- प्रशिक्षणार्थी के माता पिता की पारिवारिक आय डी.आर.आई. स्कीम में कवर होनी चाहिए।

कल्याण केन्द्रों व निर्धारित सीटों की संख्या

- राज्य में 108 कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं।
- प्रत्येक कल्याण केन्द्र में 20 सीटें होती हैं।

सम्पर्क करें :

- तहसील/जिला कल्याण अधिकारी

9. छात्रों के लिए योजनाएँ

- अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए कल्याण विभाग के माध्यम से कोचिंग, पाठ्य सामग्री खरीदने के लिये अनूदान तथा ऋण एवं छात्रवृति की सुविधाएँ प्रदान की जाती है ।

सम्पर्क करें:

- तहसील/जिला कल्याण अधिकारी

सरकार की मदद, समुदाय का साथ
अपना विकास, अपने हाथ

हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना

सी-18, सेक्टर 6, पंचकूला-134 109 (हरियाणा)